भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2465

दिनांक 06 अगस्त, 2024

कृषि विज्ञान केन्द्रों की संबद्धता में परिवर्तन

2465. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रशासन ने लद्दाख के कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की चार इकाइयों, जो वर्तमान में शेर-ए कश्मीर, कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी-के) से संबद्ध हैं, को लद्दाख विश्वविद्यालय, जो एक गैर-तकनीकी अकादमिक संस्थान है न कि पूर्ण विश्वविद्यालय, के साथ संबद्ध करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों की नैतिक व वैज्ञानिक क्षमता और स्वभाव पर इस प्रस्ताव का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या लद्दाख के कृषि विज्ञान केन्द्रों को एसकेयूएएसटी-के से संबद्ध रखने और उपर्युक्त मुद्दे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ) : लद्दाख संघ शासित प्रदेश के प्रशासन ने चार कृषि विज्ञान केन्द्रों [लेह-I (लेह), लेह-II (न्योमा), कारगिल-I (कारगिल) तथा कारगिल-II] जो कि लद्दाख क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं, को शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-कश्मीर (SKUAST-K) से अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने लद्दाख विश्वविद्यालय, शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-कश्मीर (SKUAST-K), संघ शासित (UT) प्रशासन एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की है। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-कश्मीर (SKUAST-K) से लद्दाख विश्वविद्यालय को कृषि विज्ञान केन्द्रों का स्थानांतरण करने के लिए कुछ निश्चित औपचारिकताओं यथा भूमि का स्थानांतरण, कर्मचारियों की सेवा शर्तें आदि को संघ शासित प्रशासन द्वारा पूरा करने की जरूरत है ताकि इस मामले में आगे निर्णय लेने की सुविधा की जा सके।

******